



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042024-253720  
CG-DL-E-15042024-253720

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]  
No. 254]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2024

पीएनजीआरबी/वाणि./13-विनि (1)/2023 (ई-4676).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (न) और धारा 11 के खंड (ड.) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में, -

- विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में;

(क) खंड (ठ) के परंतुक के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

“इन नियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए, यदि एक एकीकृत संविदात्मक पथ पर, एनजीजीएस के माध्यम से गैस ट्रांसपोर्ट करते समय किसी पाइपलाइन के नेटवर्क का एक से अधिक बार उपयोग किया जाता है, तो ऐसे मामलों के लिए एक ही नेटवर्क के ऐसे प्रत्येक उपयोग के लिए शिपर द्वारा अलग-अलग एकीकृत

संविदात्मक पथों की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, क्षमता बुकिंग की जाएगी, और ऐसे प्रत्येक मामले के लिए लागू जोनल एकीकृत टैरिफ लागू होगा।

(ख) खंड (इ) के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ण) "यूनिफाइड टैरिफ पाथ अर्थात् एनजीजीएस के साथ यूनिफाइड एंट्री प्वाइंट से शुरू होने वाला और यूनिफाइड टैरिफ जोन में समाप्त होने वाला पथ है, जहां यूनिफाइड एग्जिट पॉइंट मूलाधार एकीकृत संविदात्मक पथ के लिए है, जिसके लिए क्षमता बुक की गई है। एकीकृत टैरिफ पथ निम्नलिखित की पहचान करता है:

i) पाइपलाइन नेटवर्क जो संबंधित एकीकृत टैरिफ पथ पर पड़ता है;

ii) एकीकृत टैरिफ के टैरिफ जोन के लिए लागू टैरिफ; और

iii) ऐसे एकीकृत टैरिफ पथ पर प्रत्येक ट्रांसपोर्टर का हिस्सा।

(2) अनुसूची क के पैरा 5 के उप पैरा (2) खंड घ, प्रथम पंरन्तुक से पहले, निम्नलिखित स्पष्टीकरण सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण: ऊपर उल्लिखित 'लागू ट्रांसमिशन शुल्क' में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ भी शामिल है, जिसे ट्रांसमिशन हानि के कारण वसूल नहीं किया गया है।

(3) अनुसूची ख के भाग क के पैरा (6) के शीर्षक "नोट्स" के तहत खंड (ii) में, ".....द्वितीय टैरिफ जोन एकीकृत टैरिफ के लिए तीसरे टैरिफ जोन का 75% होगा" शब्दों के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"इस खंड में कुछ भी निहित होने के बावजूद, बोर्ड ऊपर वर्णित प्रतिशत के अलावा कोई भी अन्य प्रतिशत या आधार तय कर सकता है।"

(4) अनुसूची घ में: -

(क) शुरुआत में, "{विनियम 2 (1) (जक)} समाधान तंत्र" शब्दों के पश्चात् "का प्रारूप" शब्दों को लोप किया जाएगा।

(ख) परिभाषा खंड में, संख्या "1.2", को "2.1" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(ग) परिभाषा खंड के पश्चात्, "समाधान तंत्र" शीर्षक को "3" के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा, और उप-शीर्षक "समाधान समिति" को भी "3.1" के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

(घ) पैरा (2) के उप पैरा 1.2 [इन संशोधन विनियम द्वारा 2.1 के रूप में पुनः क्रमांकित] खंड (ज) में, "परिवहन के लिए स्रोत शब्दों के बाद और "से एनजीजीएस" शब्दों से पहले "या इंटरकनेक्शन बिंदु" शब्दों को सम्मिलित किया जाएगा।

(ङ) उप-पैरा 2.1 के खंड (ख) के उप-खंड (i) में [इन संशोधन विनियम द्वारा 3.1 के रूप में पुनः क्रमांकित] पैरा 2 [इन संशोधन विनियम द्वारा (3) के रूप में पुनः क्रमांकित], " और प्रत्येक 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर" शब्दों को " आवश्यकतानुसार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(च) पैरा 2 के खंड 2.4 [इन संशोधन विनियम द्वारा 3.4 के रूप में पुनः क्रमांकित] [इन संशोधन विनियम द्वारा (3) के रूप में पुनः क्रमांकित],, शब्दों के बाद "उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना," और शब्द "संस्थाएं प्रदान करेंगी" से पहले, निम्नलिखित अर्थात् " निपटान समिति सभी संस्थाओं से डेटा एकत्र करने के बाद ", शब्द सम्मिलित किए जाएंगे "अगले वित्तीय वर्ष" शब्दों के बाद "जनवरी के पहले सप्ताह तक" शब्दों को "बोर्ड द्वारा तीसरे सप्ताह तक" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(छ) पैरा 2 के खंड 2.5 [इन संशोधन विनियम द्वारा 3.5 के रूप में पुनः क्रमांकित] [इन संशोधन विनियम द्वारा (3) के रूप में पुनः क्रमांकित]; में ;

i. शुरुआत में "बोर्ड समाधान समिति के साथ अपेक्षित यूपीएफटी कार्यों को साझा करेगा" शब्दों को लोप किया जाएगा;

ii. शब्द "पूर्वानुमानित डेटा" को "सभी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत डेटा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- iii. "प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक यूएफटी अनुपात कार्यों के लिए को "प्रत्येक वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह तक बोर्ड को विस्तृत कार्यचालन प्रस्तुत करेगा" और क्रमांकित पैरा 3.3 शब्द को "क्रमांकित पैरा 3.4" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- iv. "पाइपलाइन के लिए यूएफटी....." शब्दों के बाद और "संभावित अधिशेष शब्दों से पहले " ..... "अनुपात" शब्द को "अनुपात" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- v. "एक उन्नत आईटी टूल विकसित और उपयोग किया जाएगा " शब्दों के बाद "आईटी प्रणाली से संबंधित विकास / संचालन के कारण व्यय एक उद्योग समिति के सभी सदस्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा" शब्दों को सम्मिलित किया जाएगा ।
- (ज) खंड 2.7 में [इन संशोधन विनियम द्वारा 3.7 के रूप में पुनः क्रमांकित] पैरा 2 [इन संशोधन विनियमद्वारा (3) के रूप में पुनः क्रमांकित], "समाधान समिति के बाद T+ और कार्यदिवस " शब्दों से पहले "5" शब्द को "8" से बदल दिया जाएगा।
- (झ) पैरा 2 के खंड 2.8 [इन संशोधन विनियम द्वारा 3.8 के रूप में पुनः क्रमांकित] [इन संशोधन विनियमद्वारा (3) के रूप में पुनः क्रमांकित] में ;
- i. प्रोसेसिंग के लिए शब्दों के पश्चात् "और कार्य दिवस के भीतर" शब्दों से पहले, "एक" शब्द को "दो" से बदल दिया जाएगा;
- ii. "कार्य दिवस के भीतर अर्थात् T+..... " शब्दों के बाद और "..... "कार्य दिवसों द्वारा शब्दों से पहले "क्रमांकित "6" को "10" से प्रतिस्थापित किया जाएगा; और
- iii. कंपनी द्वारा भुगतान में शब्दों के बाद "और कार्य दिवसों से अधिक ....." शब्दों से पहले "..... शब्द "दो" को "चार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- iv. उप खंड क में), "मिलान करेगी " शब्दों के बाद और "सभी कंपनियां डेटा के समय" शब्दों से पहले "और किसी कंपनी द्वारा डेटा प्रस्तुत करने में किसी भी देरी के मामले में देरी करने वाली कंपनी पिछले पखवाड़े में प्रस्तुत किए डेटा पर अनंतिम आधार पर विचार किया जाएगा और अगले पखवाड़े आवश्यक समायोजन किया जाएगा।" शब्दों को लोप किया जाएगा ।
- v. उपखंड घ में), कंपनी द्वारा भुगतान में शब्दों के बाद "कार्य दिवसों शब्दों से पहले "..... संख्या "2" को "4" से बदल दिया जाएगा। इसके अलावा, "प्राप्ति की तारीख" से शब्दों के बाद और "कार्य दिवस पर मुआवजा" शब्दों से पहले संख्यात्मक "3" को "5" के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- vi. उप खंड ड.में), "इस समाधान के कार्यान्वयन की तारीख के बाद" और के लिए भुगतान "से पहले आने वाले चार महीनों" शब्दों को "नौ महीनों या ऐसी अवधि के जिसके लिए समाधान समिति पारस्परिक रूप से सहमत हो" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- vii उप खंड 2.8 च में), "पहले" शब्द के बाद और " की अवधि के बाद" शब्दों से पूर्व "चार महीने" शब्दों को "नौ महीने या ऐसी अवधि जिसके लिए समाधान समिति पारस्परिक रूप से सहमत हो "से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
- (ञ) पैरा 2[ इन संशोधन विनियमन द्वारा :पुन में रूप के 3क्रमांकित] के खंड 2.10 [इन संशोधन विनियम द्वारा 3.10 के रूप में पुनः क्रमांकित] के उपखंड में (च) निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात्- :
- "बशर्ते, घाटे की राशि समाधान समिति द्वारा निर्धारित घाटे की राशि की तारीख से राशि की प्रतिपूर्ति होने तक भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर + 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का हकदार होगा। घाटे की राशि पर इस तरह के ब्याज को उद्योग समिति की संबंधित कंपनी की राजस्व पात्रता में शामिल किया जा सकता है ।
- (ट) खंड 2.12 [इन संशोधन विनियम द्वारा 3.12 के रूप में पुनः क्रमांकित] पैरा 2 [इन संशोधन विनियम द्वारा (3) के रूप में पुनः क्रमांकित] में;
- i. प्वाइंट ख) में "उपर्युक्त पैरा" के पश्चात् और "में दर्शाए गए अनुसार" से पहले 3.7 को 3.8 से प्रतिस्थापित किया जाएगा ; और

ii. उप खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड सम्मिलित किया जाएगा अर्थात्:-

“ग) समाधन/उद्योग समिति के कामकाज से संबंधित व्यय, जैसा कि समाधन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए, एक उद्योग समिति के सभी सदस्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./023/2024-25]

**पाद टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में संख्या जी.एस.आर.807(ई), दिनांक 20 नवंबर, 2008 के तहत प्रकाशित किए गए थे और जी.एस.आर. 986(ई), दिनांक 20 दिसंबर, 2010 और, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/फाइनल टैरिफ फाइलिंग, दिनांक 30 मई, 2012 और, पीएस/सचिव./एम(सी)/2012, दिनांक 13 सितम्बर, 2012. और, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 17 फरवरी, 2014 और, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100, दिनांक 27 फरवरी, 2014 और, फा. सं. एल-एमआईएससी/VI/II/20017, दिनांक 01 जनवरी, 2015 और, पीएनजीआरबी/एम(सी)/110, दिनांक 08 जनवरी, 2016, पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल टैरिफ (3)/2019, दिनांक 27 मई, 2019, और फा. सं. पीएनजीआरबी/ वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-II, दिनांक 27 मार्च, 2020 और फा. सं. पीएनजीआरबी/ वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2014 खंड -IV(भाग-1) (पी-1439) दिनांक 23 नवंबर, 2020 और फा. सं. पीएनजीआरबी/ वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2014 खंड-IV(भाग-1) (पी-1439) दिनांक 23 नवंबर, 2020, पीएनजीआरबी/ वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ (3) /2019 खंड-IV (पी-4121) दिनांक 17 नवंबर, 2022, पीएनजीआरबी/ वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ (3) /2019 खंड-IV (पी-4121) दिनांक 18 नवंबर, 2022 और पीएनजीआरबी/ वाणि./10-एनजीपीएल टैरिफ (11)/2022 (पी-4142) ) दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2024

**PNGRB/Com/13-Reg (1)/2023 (E-4676).**—In exercise of the power conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 61 and power conferred under clause (e) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, namely:

#### 1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, —

(1) In sub-regulation (1) of regulation 2;

(a) after the proviso of clause (l), at the end the following shall be inserted, namely: —

“Notwithstanding anything contained in these regulations, in case on a unified contractual path, the network of any pipeline is used more than once for transporting gas through NGGS, then for such cases, separate unified contractual path will need to be confirmed by the shipper for each usage of the same network. Accordingly, capacity booking shall be done, and applicable zonal unified tariff shall be applied for each case.”

(b) After clause (n), following clause shall be inserted, namely: -

“(o) “Unified Tariff Path” means the path along the NGGS starting from Unified Entry Point and ending in the Unified Tariff Zone where in Unified Exit points falls for the underlying Unified Contractual Path for which capacity is booked. Unified Tariff Path identifies the following:

- i) pipeline networks which falls on the respective Unified Tariff Path;
- ii) the applicable tariff for tariff zones for unified tariff; and

iii) share of each transporter on such Unified Tariff Path.”

(2) In clause (d) of sub-para (2) of para 5 of Schedule A, before the first proviso, the following clarification shall be inserted, namely: -

“Clarification: The ‘applicable transmission charges’ referred above also includes the natural gas pipeline tariff not recovered due to transmission loss.”

(3) In clause (ii) under the head “Notes”, of para (6) of Part A of Schedule B, after the words “..... second tariff zone shall be 75% of the tariff for third tariff zone for unified tariff” the following shall be inserted namely: -

“Notwithstanding anything contained in this clause, the Board may decide any other percentage or basis other than percentage as mentioned above.”

(4) In Schedule D: -

- (a) After the words, “{See Regulation 2(1)(ha)}” and before the words “SETTLEMENT MECHANISM”, the word “DRAFT” shall be omitted.
- (b) In definition clause, the numbers “1.2”, shall be renumbered as “2.1”.
- (c) After the definition clause, the head “SETTLEMENT MECHANISM”, shall be renumbered as “3.”, and sub-head “Settlement Committee” shall be also be renumbered as “3.1.” and so on.
- (d) In clause (j) of sub-para 1.2 [renumbered as 2.1 by these amendment regulation] of para (2), after the words “NGGS from the source.....” and before the words “.....for further transportation.”, the words “or interconnection point” shall be inserted.
- (e) In sub-clause (i) of clause (b) of sub-para 2.1 [renumbered as 3.1 by these amendment regulation] of para 2 [renumbered as (3) by these amendment regulation], the words “and not later than every 15 (fifteen) days.” shall be replaced by the words “as may be required.”
- (f) In clause 2.4 [renumbered as 3.4 by these amendment regulation] of para 2 [renumbered as (3) by these amendment regulation], after the words “Without prejudice to the above, the.....” and before the word “.....entities shall provide the”, the words “Settlement Committee after collecting the data from all”, shall be inserted. Further, after the words “following financial year....” the words “with Board by the first” shall be replaced with the words “to the Board by the third”.
- (g) In clause 2.5 [renumbered as 3.5 by these amendment regulation] of para 2 [renumbered as (3) by these amendment regulation] ;
  - i. At the beginning the words “The Board would share the required UFT working with” shall be omitted;
  - ii. The words “forecasted data” shall be substituted by the words “data submitted by all entities”;
  - iii. The numeric and words “3.3 for UFT Ratio working by 31<sup>st</sup> January of every year” shall be substituted with the words “3.4, submit the detailed working to the Board by third week of January every year.”;
  - iv. After the words “The Settlement Committee shall calculate the UFT.....” and before the words “ .....along with details of” the word “ratio” shall be replaced with the word “ratios”;
  - v. After the words “an improved IT tool shall be developed and used for arriving at the final UFT.....” the words “The expenses on account of development/operations pertaining to IT system shall be equally shared by all the members of the industry committee.” shall be inserted.
- (h) In clause 2.7 [renumbered as 3.7 by these amendment regulation] of para 2 [renumbered as (3) by these amendment regulation], after the words “data on or before T+.....” and before the words “.....Working Days to the Settlement” the numeric “5” shall be substituted by “8”.
- (i) In clause 2.8 [renumbered as 3.8 by these amendment regulation] of para 2 [renumbered as (3) by these amendment regulation];
  - i. After the words “Industry Committee within....” and before the words “Working Day i.e. by.....”, the word “one” shall be replaced by “two”;
  - ii. After the words “Working Day i.e. by T+.....” and before the words “.....Working Days, for” the numeric “6” shall be substituted by “10”; and

- iii. After the words “complete the payment within.....” and before the words “.....Working Days from” the word “two” shall be substituted by “four”.
- iv. In sub-clause a), after the words “data submitted by individual entities.....” and before the words “.....All the entities shall” the words “and in case of any delay in submission of data by any entity, the data submitted by such delaying entity in previous fortnight shall be considered on a provisional basis and necessary adjustment shall be made in the following fortnight” shall be omitted.
- v. In sub-clause d), after the words “In case there is a delay beyond....” and before the words “.....Working Days, as provided above” the numeric “2” shall be replaced with “4”. Further, after the words “compensated for the same on.....” and before the words “....Working day, from the date of receipt” the numeric and words “3<sup>rd</sup>” shall be substituted with “5<sup>th</sup>”.
- vi. In sub-clause e), after the words “For the first.....” and before the words “.....from the date of implementation of this” the words “four months” shall be substituted with “nine months or such period as may be mutually agreed by Settlement Committee”.
- vii. In sub-clause Point f), after the words “Post the period of the first....” and before the words “....., any delays or defaults by the Shipper,” the words “four months” shall be substituted by the words “nine months or such period as may be mutually agreed by Settlement Committee.”.
- (j) In sub-clause (f) of clause 2.10 [renumbered as 3.10 by these amendment regulation] of para 2 [renumbered as (3) by these amendment regulation], at the end, the following proviso shall be inserted namely:-
- “Provided that the deficit amount shall be entitled to be compensated with interest @ Repo Rate of Reserve Bank of India + 2% per annum from the date of deficit amount determined by the settlement committee till the amount is recouped. Such interest on deficit amount can be included in the revenue entitlement of the respective entity of the Industry Committee.”
- (k) In clause 2.12 [renumbered as 3.12 by these amendment regulation] of para 2 [renumbered as (3) by these amendment regulation];
- i. In sub-clause (b), after the words “timelines except as provided in paragraph....” and before the word “.... above.”, the numeric “3.7” shall be replaced with “3.8”; and
- ii. After sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely: -
- “c) Expenses pertaining to working of Settlement/Industry Committee as may be approved by the settlement committee shall be equally shared by all the members of the industry committee.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./023/2024-25]

**Foot Note :** Principal regulation were published in the Gazette of India (Extraordinary) under No. G.S.R.807(E), dated the 20<sup>th</sup> November, 2008 and amended *vide* G.S.R. 986(E), dated 20<sup>th</sup> December, 2010 and, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing, dated 30<sup>th</sup> May, 2012 and, PS/Secy./M(C)/2012, dated 13<sup>th</sup> September, 2012. and, F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 17<sup>th</sup> February, 2014 and, F. No. PNGRB/M(C)/100, dated 27<sup>th</sup> February, 2014 and, F. No. L-MISC/VI/I/20017, dated 01<sup>st</sup> January, 2015 and, PNGRB/M(C)/110, dated 08<sup>th</sup> January, 2016, PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019, dated 27<sup>th</sup> May, 2019, and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-II, dated 27<sup>th</sup> March, 2020 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439) dated 23<sup>rd</sup> November, 2020 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439) dated 23<sup>rd</sup> November, 2020, PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121) dated 17<sup>th</sup> November, 2022, PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121) dated 18<sup>th</sup> November, 2022 and PNGRB/Com/10-NGPL Tariff (11)/2022 (P-4142) dated 29<sup>th</sup> March, 2023.